राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक :– प. 19(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांक : 06-06-2025

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ–श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	480	श्री घनश्याम शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2042	एफ–95, गांधीनगर
2.	481	श्री बंटी गोचर लिपिक ग्रेड–I जन स्वा. अभि. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2055	एफ–99, गांधीनगर
3.	482	श्रीमती विनीता राणावत सहायक अनुभागाधिकारी श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	28.02.2041	एफ–143, गांधीनगर
4.	483	श्रीमती सुमित्रा कासनिया वरिष्ठ लिपिक राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	31.08.2047	एफ–153, गांधीनगर
5.	484	श्री शेर सिंह यादव अति. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर।	30.06.2028	एफ–163, गांधीनगर
6.	485	सुश्री अनुराधा नर्स ग्रेड–II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.08.2052	एफ–169, गांधीनगर
7.	486	श्री योगेश कुमार तिवाडी विशेष अध्यापक राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर विद्यालय, जयपुर जिला, जयपुर।	31.08.2043	एफ–454, गांधीनगर
8.	487	श्रीमती संजु लिपिक ग्रेड–I राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2054	एफ–493, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.06.06 11:00:37 IST
Reason: Approved

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3 सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, (एस.एन.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, अभियोजन निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. प्राचार्य, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.06.06 11:00:37 IST
Reason: Approved

6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
16. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेगें।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2025.06.06 11:00:37 IST
Reason: Approved